

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 8( )/आ0क0/जउप्र/पाईप पंजी/17-18

दिनांक :


अभिरूचि की अभिव्यक्ति

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 (तीन वर्ष) के लिए सिंचाई पाईप लाईन (HDPE, PVC & HDPE Laminated Lay flat tube) कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के कृषकों को अनुदान पर सिंचाई पाईप लाईन उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं के पंजीकरण हेतु अभिरूचित की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। पंजीयन की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1. सिंचाई पाईप लाईन पंजीकरण हेतु निर्माता के पास बी.आई.एस/आई.एस.आई. प्रमाण पत्र होना आवश्यक है ।
2. सिंचाई पाईप लाईन निर्माताओं को पंजीयन नये सिरे से करवाना होगा। उक्त पंजीयन प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 (तीन साल) तक मान्य रहेगी।
3. संबंधित निर्माताओं द्वारा तीन साल (वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक मान्य) में एक बार पंजीयन शुल्क के रूप में राशि रुपये 15,000/-प्रति आवेदक आयुक्त कृषि, कृषि विभाग के पक्ष में बैंकर चैक/डी0डी0 के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं लौटाया जायेगा। निर्माता द्वारा 3 वर्ष के ब्लॉक में किसी भी वित्तीय वर्ष में आवेदन करें, शुल्क राशि रु. 15000/- ही होगी। पंजीयन शुल्क की वैधता वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त तक ही मान्य होगी।
4. पंजीकरण हेतु इच्छुक निर्माताओं को अमानत/सेक्योरिटी के रूप में राशि रु. 2.00 लाख की बैंक गारंटी आयुक्त कृषि, कृषि विभाग के पक्ष में जमा करवानी होगी। बैंक गारंटी पंजीकृत वित्तीय वर्ष अथवा पंजीकरण के उपरान्त कार्यरत वित्तीय वर्ष (Block year 2017-18 to 2019-20) के साथ आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिये मान्य होनी चाहिए।
5. विज्ञप्ति जारी होने के दो माह तक निर्माताओं द्वारा पंजीकरण करवाया जा सकेगा। आगामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह 01, अप्रैल से 31, मई तक आवेदन प्राप्त किये जावेंगे। निर्धारित अवधि पश्चात् पंजीकरण नहीं किया जावेगा। पंजीकरण की वैधता वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिये ही मान्य होगी ।
6. यह विभाग के द्वारा क्रय नहीं है। अपितु निर्माताओं के नेटवर्क के माध्यम से कृषकों को विभागीय अनुदान एवं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत भागीदारी के अधीन कृषकों को

गुणवत्ता एवं उचित दर पर सिंचाई पाइपों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु योग्य निर्माताओं के लिए पंजीयन प्रक्रिया है।

7. इच्छुक निर्माता/कंपनियाँ आवेदन पत्र, राशि रु. 100/— (एक सौ मात्र) भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो कि "आयुक्त कृषि राजस्थान" के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत कर संयुक्त निदेशक कृषि (शष्प), जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर, कमरा नं. 121 में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त पंजीकरण प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के दो माह तक वैध होगी। निर्धारित अवधि पश्चात् प्राप्त आवेदनों का अगुक वित्तीय वर्ष में पंजीकरण नहीं किया जावेगा।
8. पंजीकृत निर्माता अपने बी.आई.एस. लाईसेन्स की वैधता अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकेगा। प्रत्येक माह में दिनांक 25 तक प्राप्त आवेदनों की वैधता सूची एक साथ जारी की जावेगी।
9. उक्त जारी पंजीकरण/नवीनीकरण की सूची विभागीय वेबसाईट [WWW.krishi.rajasthan.gov.in](http://WWW.krishi.rajasthan.gov.in) पर अपलोड कर दी जावेगी।
10. यह अभिरुचि की अभिव्यक्ति तब तक प्रभावी रहेगी जब तक अन्य कोई दूसरी अभिरुचि जारी नहीं हो जाती।

  
आयुक्त कृषि  
राज0 सरकार, जयपुर

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN**  
**COMMISSIONERATE OF AGRICULTURE, RAJASTHAN JAIPUR**  
(Pant Krishi Bhawan)

**TERMS AND CONDITIONS FOR REGISTRATION OF IRRIGATION**  
**PIPELINE (HDPE/PVC/ HDPE LAY FLAT TUBE PIPES)**  
**MANUFACTURERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-18 to 2019-20**

(N.B. Please read these instructions carefully before filling up the application form for Registration. Incomplete or deficient applications are liable to be rejected without giving any reason. )

Applications are invited from the manufacturers only for supply of ISI marked HDPE/PVC/HDPE lay flat tube Pipes to the Cultivators / Farmers of Rajasthan. Applicant firm should be a manufacturer for HDPE/PVC/HDPE lay flat tube Pipes and should have valid BIS license in his own name. It may be noted that this is not a Government purchase and it should also be noted that Dealer/ Sub dealer/ Trader / Unorganized sector shall not be registered.

Applications for registration addressed to Commissioner of Agriculture, Rajasthan, Jaipur should be submitted to Joint Director of Agriculture (Agronomy), Water Utilization Cell, Pant Krishi Bhawan Jaipur in Room No. 121. The decision to accept or reject the applications shall be with the Commissioner of Agriculture, Rajasthan, Jaipur.

The manufacturers / firms seeking registration for irrigation pipeline programme for the financial year 2017-18 to 2019-20 are required to submit the following documents:-

1. Duly filled application form for registration (Proforma enclosed)
2. Certified copy of valid BIS Licenses
3. The firm will submit a one time registration fee of Rs 15,000/- valid for block financial year 2017-18 to 2019-20 in the form of Banker's Cheque / Demand Draft payable in favour of Commissioner of Agriculture, Rajasthan , Jaipur. This registration fees is non-refundable.
4. Bank Guarantee of Rs 2.00 lac duly pledged in favour of Commissioner of Agriculture, Rajasthan, Jaipur valid up to 31.3.2020 (at least three year from the financial year of registration) for due performance of contract and supplies. Such Bank Guarantee, if invoked, shall be en-cashable at Jaipur.
5. A certified copy of application / registration of trademark from the competent authority in support of the brand for which the offer has been submitted. Only one brand will be approved for one manufacturing unit, however, HDPE/PVC/HDPE lay flat tube pipeline brand may be different for the same manufacturer.

